न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

दिनांक 26/9/25

क्रमांक /कोर्ट/2025/ 853

श्री नीरज कुमार जैन
निवासी ई–670, रनजीत नगर
जिला भरतपुर
मो न0 9828773671

विषयः–अपील संख्या 63/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री नीरज कुमार जैन बनाम लो.सू. अधिकारी तहसीलदार भरतपुर** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 19.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः– निर्णय प्रति एवं लोक सू0अ0 से प्राप्त पत्रादि की प्रति

आज्ञा से
रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम
अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर
नीरज कुमार जैन बनाम लो.सू.अधि. तहसीलदार भरतपुर
किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 63 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट नीरज कुमार जैन निवासी ई–670, रनजीत नगर, जिला भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060362339793002 से लोक सूचना अधिकारी **तहसीलदार भरतपुर** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति **तहसीलदार भरतपुर** को प्रेषित कर अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई हो तो प्राप्ति रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 19.09.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर भरतपुर	817 15/9/25 प्रेषित
19/9/25	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	

अपील / आरटीआई / 63 / 2025

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

नीरज कुमार जैन निवासी ई–670 रनजीत नगर, भरतपुर ......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर

......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 19.09.2025**

नीरज कुमार जैन निवासी ई–670 रनजीत नगर, भरतपुर की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060362339793002 इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना तहसीलदार भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक / कोर्ट / 25 / 817 दिनांक 15.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर का जबाब पत्रांक विविध / 2025 / 14 दिनांक 18.09.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी / आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या 1 लगायत 8 तक चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण कार्यालय के पत्रांक विविध / 2025 / 13 दिनांक 17.09.2025 से प्रार्थी / अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है कि प्रशासनिक सुधार एवं सामान्य विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (22) प्र.सु. / सू.अ.प्र. / 06 दिनांक 2.2.2009 के

जिला कलक्टर
भरतपुर

......2

बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी/ अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह प्रश्नात्मक एवं सृजनात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत काल्पनिक प्रश्नों के सन्दर्भ में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्रादेश क्रमांक प.3(22) प्र.सु/सूअप्र/06 दिनांक 2–2–2009 के पेरा–3 में :– में स्पष्ट है –

> ''..........नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। **अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है........।''**

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर द्वारा जरिये पत्रांक विविध/2025/13 दिनांक 17.09.2025 से सूचित/अवगत कराया 'जा चुका है यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर